जम्मू-कश्मीर में शरणार्थियों को मिला भूमि का स्वामित्व

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

हाल ही में **जम्मू और कश्मीर (J&K)** सरकार ने **पश्चिमी पाकिस्तान शरणार्थियों** (West Pakistan Refugees- WPR) तथा वर्ष **1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध** के दौरान विस्थापित व्यक्तियों को मालिकाना अधिकार प्रदान किये।

- **पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी (WPR)** वे व्यक्ति हैं जो **वर्ष 1947 में** विभाजन के दौरान **पश्चिमी पाकिस्तान से तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य** (अब केंद्रशासित प्रदेश) में चले आए थे और मुख्य रूप से जम्मू संभाग के **जम्मू, कठुआ तथा राजौरी** ज़िलों में बस गए थे।
- यह निर्णय क्षेत्र में विधानसभा चुनाव कराने के लिये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 30 सितंबर, 2024 की समय-सीमा से पहले लिया गया।
- विस्थापितों को **राज्य की भूमि पर अधिकार प्रदान** करके भेदभाव समाप्त हो गया तथा उनके अधिकारों को **पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर (Pakistan Occupied Jammu and Kashmir- PoJK)** से विस्थापित व्यक्तियों के अधिकारों के समान कर दिया गया।
- इससे पहले, WPR परिवारों को **"गैर-राज्य विषय"** माना जाता था और **वर्ष 1947 के विभाजन** के समय निवासी नहीं होने के कारण वे **जम्मू तथा कश्मीर में मत नहीं दे** सकते थे।
- 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 **के निरसन** होने के बाद उन्हें अधिवास का दर्जा और मतदान का अधिकार दिया गया।

//

अधिक पढ़ें: अनुच्छेद 370 हटाने पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/refugees-in-j-k-get-land-ownership